अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

सक्षम न्यायालय प्रस्तुत करने लौटाई जाती है।

गोपी सिंह व अन्य बनाम ए.डी.ए.,अजमेर वगैरह

किस्म मुकदमा–75 राज.भू–राजस्व अधिनियम, अपील संख्या 112/2023

(अजमेर)

	श्री अजीत सिंह राठौड एडवोकेट	
	गोपी सिंह बनाम अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर व अन्य (112/2023)	
27.03.2023	यह अपील श्री अजीतसिंह राठौड़ एड़वोकेट ने विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 27.09.2013 अन्तर्गत आदेश क्रमांकःक.अ./राजस्व/एफ–12 (सी)/13/292 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् प्रस्तुत की। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील में पुश्त पर की गई रिपार्ट में अंकित किया गया है यह क्षेत्राधिकार हेतु सुनवाई आवश्यक है। अपील के क्षैत्राधिकार पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मान्नीय उपशासन सचिव राजस्व ग्रुप–6 विभाग की अधिसूचना क्रमांकः 1(17)रेवे–6/2019/112 दिनांक 17.10. 20219 के द्वारा राजस्व लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर के आदेश के विरूद्ध की जानी वाली प्रथम अपील का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा (राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर) के स्थान पर न्यायालय संभागीय आयुक्त को किये जाने के आदेश दिये है। अपील न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं होने से अपीलांट को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जाना उचित समझते है। अतः प्रस्तुत अपील न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं होने से अपीलांट को अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जाती है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	संलग्न दस्तावेज प्राप्त किए

Scanned with CamScanner